DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001
Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

:: PET– 2010 Phase – II ::

:: सत्र 2010–11 में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों में PET– 2010 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की ऑन लाइन काउंसिलिंग की सूचना ::

पी.ई.टी. – 2010 के आधार पर प्रथम चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2010 के पश्चात् प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय (Government), स्वशासी–स्ववित्तीय (Autonomous & Self Financing) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी (Private) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गई सीटों के लिये द्वितीय चरण की ऑन लाइन काउंसिलिंग निम्नानुसार होगी : प्रवेश/आबंटन हेतु अभ्यर्थी का छ.ग. का मूल निवासी होना तथा पी.ई.टी. नियम पुस्तिका के बिन्दु 2.6 के अनुसार पात्र होना अनिवार्य है । अनिवार्य विषयों गणित, भौतिक में तथा रसायन/बायोलॉजी/बायो टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । कृपांक (ग्रेस) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र हैं (पी.ई.टी.–2010 में शून्य प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है) । **रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 16 अगस्त 2010 को वेबसाइट www.mkcl.biz/cgdte में होस्ट कर दिया जायेगा ।**

ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

क्र.	विवरण	दिनांक/समय से	दिनांक/समय तक
1	**Website: www.mkcl.biz/cgdte** में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन भरना (Online Registration & Option Filling)	16 अगस्त 2010 प्रातः 11.00 बजे	21 अगस्त 2010 सायं 5.00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण	17 अगस्त 2010	21 अगस्त 2010
		प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे	
3	सीट आबंटन की सूची जारी करना	25 अगस्त 2010 (समय अपरान्ह 2.00 बजे)	
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	26 अगस्त 2010	31 अगस्त 2010 को सायं 6.00 बजे तक

1. प्रथम चरण के विज्ञापन में यह उल्लेख था कि जो अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेंगे उन्हें द्वितीय चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी । इसमें बदलाव कर अब ऐसे अभ्यर्थियों को भी द्वितीय चरण में भाग लेने की अनुमति है अर्थात प्रथम चरण में आबंटित संस्था में प्रवेश लेने की बाध्यता नहीं है।
2. जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में कहीं प्रवेश ले चुके हैं वे भी द्वितीय चरण के लिये विकल्प भर सकते हैं । ऐसी स्थिति में उनकी पूर्व सीट का आबंटन स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं कि उसे पहले से उच्च प्राथमिकता की सीट ही मिले । उसे पहले से नीचे की प्राथमिकता की सीट भी मिल सकती है । अतः प्रवेशित छात्र सोच समझकर द्वितीय चरण में सम्मिलित होने के लिये अपनी सहमति दें । प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में छात्र द्वारा पूर्व संस्था में जमा की गई फीस में से रु. 1000/– की कटौती के पश्चात् शेष राशि छात्र को संस्था द्वारा वापस की जाना है । जो छात्र उसी संस्था में अपना ब्रांच परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी पुनः विकल्प भरना पड़ेगा ।
3. प्रथम चरण के विज्ञापन में यह भी उल्लेख था कि अभ्यर्थी अपने प्रथम चरण में दिये गये विकल्प में कोई बदलाव नहीं कर पायेंगे । इसमें भी छूट देकर अभ्यर्थियों को विकल्प में बदलाव करने की अनुमति दी जाती है । अभ्यर्थी चाहे तो अपना पूर्व का विकल्प यथास्थिति रख सकता है । चूंकि प्रवेशित छात्र भी द्वितीय काउंसिलिंग में शामिल होने के लिये अपने विकल्प भरेंगे एवं विकल्प भरने पर उनकी सीट भी रिक्त हो जायेगी । अतः अभ्यर्थी उन विकल्पों को भी भरें जिनके लिये रिक्तियॉ अभी क्लीयर कट नहीं दिख रही है परंतु बाद में हो सकती है अर्थात् विकल्प सभी खुले रहेंगे परंतु आबंटन उसी में होगा जिसमें सीट उपलब्ध रहेगी ।

4. सभी कॉलेजों को कोड नंबर दिया गया है, उसी प्रकार सभी ब्रांचों को भी कोड नंबर दिया गया है । जैसे उदाहरण के लिये शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर का कोड 103 एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर का कोड 101 है उसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग का कोड 03 एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग का कोड 10 है । एक कॉलेज एवं एक ब्रांच को मिलाकर एक विकल्प बनता है । जैसे उदाहरण के लिये शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का विकल्प कोड 10303 और शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर मेकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का विकल्प कोड 10110 है। एक कॉलेज में यदि 05 ब्रांच हैं तो वहॉ 05 विकल्प बनेंगे । इसी प्रकार अन्य कॉलेजों के विकल्प बनेंगे । वर्तमान में 300 से अधिक विकल्प मौजूद हैं । आपको सलाह दी जाती है कि अधिक से विकल्प प्राथमिकता क्रम में भरें । कम से कम एक एवं अधिक से अधिक उपलब्ध विकल्प संख्या तक विकल्प भर सकते हैं ।
5. प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के पश्चात् निम्नलिखित संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम का अनुमोदन एआईसीटीई से प्राप्त हुआ है जो प्रथम चरण के विकल्प में सम्मिलित नहीं थे । द्वितीय चरण में ये विकल्प शामिल किये गये हैं । अतः अभ्यर्थी इनका भी विकल्प दे सकते हैं –

स.क्र.	संस्था का नाम	ब्रांच का नाम
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	**Mining Engg.**
2	भिलाई स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, चंदखुरी, दुर्ग	**EEE**
3	एम.एम. कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, लखौली, रायपुर	**IT**
4	गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड मेनेजमेंट, दुर्ग	
5	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मेनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी, रायपुर	
6	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी, भिलाई	
7	रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड मेनेजमेंट, रायपुर	

6. जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण में अपने आवेदन पूरे नहीं भरे थे और जिनका दस्तावेज परीक्षण नहीं हो पाया था उनको पुनः नवीन रजिस्ट्रेशन करना एवं पूरा फार्म भरना आवश्यक है । ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से जो चालान जमा किया गया है उसी का विवरण दें ।
7. जिन अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज परीक्षण करा लिये थे, वे यदि द्वितीय चरण में पुनः विकल्प भरते हैं तो उन्हें पुनः रु. 500/– का चालान जमा करना अनिवार्य है । परंतु ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण की आवश्यकता नहीं है । तथापि इन्हें बैंक चालान एवं विकल्प फार्म लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है ।
8. उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने दस्तावेज परीक्षण कराया था परंतु जिनका आबंटन नहीं हुआ है, उन्हें भी रु. 500/– का चालान पुनः जमा करना है ।
9. नवीन अभ्यर्थी (जिन्होंने प्रथम चरण में ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फार्म नहीं भरा था) भी ऑन लाईन विकल्प भर सकते हैं इन्हे रु. 500/– का चालान भरना पड़ेगा ।
10. रु. 500 का चालान खाता क्रमांक 31073343567 में भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है । चालान का प्रारूप वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgdte** से डाउनलोड किया जा सकता है ।
11. प्रथम चरण के आबंटन के बाद **दिनांक 08 अगस्त 2010** को रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgdte** में दी गई है साथ ही **प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 14 अगस्त 2010** के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों की जानकारी **दिनांक 16 अगस्त 2010** को वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgdte** में देखा जा सकता है ।
12. प्रथम चरण के आबंटन के अनुसार संस्थावार एवं ब्रांचवार ओपनिंग मेरिट तथा क्लोजिंग मेरिट की जानकारी वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgdte** में दी गई है ।
13. विकल्प उपलब्ध होने/भरने मात्र से सीट आबंटन होने का अधिकार नहीं हो जाता, सीट का आबंटन सीट की उपलब्धता एवं मेरिट के आधार पर होगा ।
14. ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संक्षिप्त में निम्नानुसार है :
    - **Website www.mkcl.biz/cgdte** को खोलें
    - **New Registration** में जायें
    - **Login ID** एवं **Password** नोट करें
    - **Registered Candidate Login** में जायें
    - **Password** बदलें, पासवर्ड को गुप्त रखें एवं इसे किसी को भी न बतायें परंतु इसे याद रखें

- ऑन लाईन फार्म भरें (Personal, Special Reservation, 12th Marks, Challan Details आदि की जानकारी)
- विकल्पों का चयन करें **(Branch/College Selection)**
- विकल्पों का प्राथमिकता क्रम दें **(Set Your Preference)**
- **Save & Proceed** करें
- **Print Out** निकालें (प्रिंट लेना अनिवार्य है) ।

हर चरण में **Save & Proceed** अवश्य करें ।

15. ऑन लाईन आवेदन फार्म सुविधानुसार कहीं से भी भरा जा सकता है तथापि इसके लिये एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्र से भी मदद ली जा सकती है । सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाइट www.mkcl.biz/cgdte में दिया गया है ।
16. दस्तावेज परीक्षण (Document Verification) का कार्य दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (DVC) में कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से 5.30 तक कराया जा सकता है । दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (DVC) की सूची वेबसाइट www.mkcl.biz/cgdte में दी गई है । दस्तावेज परीक्षण का कार्य निर्धारित अवधि के भीतर कभी भी कराया जा सकता है । इसके लिये मेरिट से आने की आवश्यकता नहीं है । दस्तावेज परीक्षण के लिये समस्त आवश्यक दस्तावेज के मूल एवं फोटोकॉपी लेकर उपस्थित हों ।
17. विस्तृत प्रक्रिया के लिये कृपया वेबसाइट **www.mkcl.biz/cgdte** में दिये गये प्रथम चरण के विज्ञापन का अवलोकन करें ।
18. यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती है जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी ।
19. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।
20. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी www.mkcl.biz/cgdte एवं www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है । आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 पर संपर्क किया जा सकता है ।
21. कृपया वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें ।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़